



फर्द अहकाम  
मोहरी देवी

बनाम कात्यायन व अन्य

मुख्यालय-जयपुर

दिनांक 27/2021

(प्रार्थनादाता कात्यायन मिश्र द्वारा)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.10.22	<p>की भूमि के संयंत्र भाग में अनुलोप-चाटा गया है। जिससे आउटपींग का कोर्स इन्वन्ट प्रथम दृष्टया उतीर नही होता है तथा ना ही आउटपींग उतरा किसी की स्तर पर वादपता / आ.पता ली-आर्बि के लक्षों का कोर्स खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन आर्बि के प्रस्तु में उतीर होता है। अतः लक्षों के दृष्टिगत न्यायालय हाजि के पूर्व अन्तरिम आर्बि मिश्र द्वारा दिनांक 28.06.21 को तार्फरुला मूलवाद स्थाई किया जाता है। निर्णय सुनाया गया पत्रावली फेरुला शुगर होकर दस्ता नम्बर से कम है। काद लक्षील संलग्न मूलवाद है।</p>	

मुख्यालय-जयपुर